# अकाउंट एग्रीगेटर में अंतरसंचालनीयता: सुविधा के साथ सूचित सहमति

समाचार संदर्भ: 7 अक्टूबर 2026 | डिजिटल वित्त • डेटा संरक्षण | GS-III

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में बिखरी जानकारी को साझा करना सरल हो सकता है, लेकिन सुविधा अपने आप निजता की सुरक्षा नहीं करती। ग्राहक को यह समझना चाहिए कि कौन-सी जानकारी, किस उद्देश्य और किसके साथ साझा होगी।

## खबरों में क्यों

7 अक्टूबर 2026 को रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर के बीच अंतरसंचालनीयता लागू करने का निर्णय बताया। साथ ही बैंक जमा की जानकारी को समेकित खाता विवरण में जोड़ने की सुविधा की घोषणा की गई। दोनों उपायों के 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की अपेक्षा बताई गई थी; घोषणा को सभी ग्राहकों के लिए सेवा पहले से उपलब्ध होने का प्रमाण न मानें।

## अकाउंट एग्रीगेटर और अंतरसंचालनीयता क्या हैं?

अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से उसकी जानकारी प्राप्त और साझा करने वाला विनियमित माध्यम है। यह स्वयं ग्राहक का पैसा स्थानांतरित करने की सेवा नहीं है। अंतरसंचालनीयता का आशय अलग अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्थाओं के बीच तालमेल से है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के माध्यम से जानकारी तक पहुँच और साझाकरण कर सके।

## मुख्य तथ्य

**चयन की सुविधा:** घोषित व्यवस्था का उद्देश्य अलग वित्तीय सूचना प्रदाताओं की जानकारी ग्राहक की पसंद के अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से उपलब्ध कराना है। वास्तविक सेवा संबंधित संस्थाओं के जुड़ने और कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

**समेकित विवरण:** प्रतिभूति नियामक से विनियमित डिपॉजिटरी को अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक जमा की जानकारी समेकित खाता विवरण में शामिल करने की सुविधा दी जानी है। डीमैट खाता न रखने वाले ग्राहक भी एग्रीगेटर से अपनी जानकारी देख और साझा कर सकते हैं।

**सहमति की शर्तें:** रिजर्व बैंक के निर्देशों में साझा जानकारी का स्वरूप, उद्देश्य, प्राप्तकर्ता और सहमति की समाप्ति जैसे विवरण जरूरी हैं। सहमति वापस लेने की सुविधा भी होनी चाहिए।

**जानकारी, न कि भुगतान:** निर्देशों के अनुसार ग्राहक की वित्तीय जानकारी अकाउंट एग्रीगेटर के पास बनी नहीं रहनी चाहिए और उसे ग्राहक के पासवर्ड या पिन माँगने या रखने नहीं चाहिए। डेटा साझा करने की अनुमति भुगतान की अनुमति नहीं है।

डेटा और तकनीक की जवाबदेही का अलग उदाहरण AI सुरक्षा वाले लेख में पढ़ें।

## आसान साझाकरण के साथ नए जोखिम कैसे जुड़ते हैं?

**समझी हुई सहमति:** लंबे या कठिन विकल्पों में ग्राहक केवल अगला बटन दबा सकता है। सरल भाषा और सीमित उद्देश्य से सहमति वास्तविक निर्णय बनती है, औपचारिकता नहीं।

**जानकारी और ऋण:** प्रामाणिक वित्तीय जानकारी से ऋणदाता आकलन बेहतर कर सकता है। फिर भी डेटा साझा करने से ऋण स्वीकृति, कम ब्याज या सभी ग्राहकों की पात्रता की गारंटी नहीं मिलती।

**जवाबदेही की शृंखला:** सूचना प्रदाता, एग्रीगेटर और उपयोगकर्ता की भूमिकाएँ अलग हैं। त्रुटि या दुरुपयोग पर जिम्मेदारी और शिकायत का रास्ता स्पष्ट न हो तो सुविधा के साथ नुकसान भी फैल सकता है।

## विश्लेषण और आगे की राह

अंतरसंचालनीयता को केवल तकनीकी जोड़ नहीं, ग्राहक-अधिकार का प्रश्न मानना चाहिए। सहमति में उद्देश्य और प्राप्तकर्ता साफ हों, अनावश्यक जानकारी न माँगी जाए और सहमति के उपयोग का रिकॉर्ड समझने योग्य हो। वापस लेने के विकल्प तथा शिकायत-निवारण की वास्तविक उपयोगिता जाँची जाए। डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और अलग संस्थाओं की जवाबदेही साथ बढ़ें। ये सुधार की कसौटियाँ हैं; सभी सेवाओं में समान गुणवत्ता पहले से मौजूद होने का दावा नहीं।

## अवधारणा में अंतर

अलग संस्थाओं की जानकारी का समेकित दृश्य बनना खाते या संपत्ति का स्वामित्व एक होना नहीं है। डेटा साझा करना, ऋण का निर्णय और धन का लेन-देन अलग प्रक्रियाएँ हैं; एक की सहमति दूसरे की अनुमति नहीं बनती।

## मेंस दृष्टि

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में नवाचार के साथ उद्देश्य-सीमा, निजता, वित्तीय समावेशन और प्रभावी शिकायत-निवारण को जोड़ें। कार्यान्वयन की अपेक्षित तारीख और वास्तविक उपलब्धता अलग रखें।

## UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

**अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्थाओं की अंतरसंचालनीयता वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकती है, पर इसकी सफलता सूचित सहमति और जवाबदेही पर निर्भर है। विवेचना कीजिए।**

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक की सहमति से वित्तीय जानकारी साझा करने का माध्यम है, भुगतान सेवा नहीं। अंतरसंचालनीयता ग्राहक के चयन और जानकारी तक पहुँच को आसान कर सकती है, पर अधिकारों की सुरक्षा साथ चाहिए।

**मुख्य भाग में:** अलग संस्थाओं की जानकारी का समेकित दृश्य वित्तीय आकलन में मदद कर सकता है; इससे ऋण या कम ब्याज की गारंटी नहीं मिलती। सहमति में जानकारी का स्वरूप, उद्देश्य, प्राप्तकर्ता और अवधि सरल भाषा में बताएँ। अनावश्यक डेटा न माँगें; उपयोग का समझने योग्य रिकॉर्ड तथा सहमति वापसी का प्रभावी विकल्प हो। सूचना प्रदाता, एग्रीगेटर और उपयोगकर्ता की अलग जिम्मेदारी तथा शिकायत-निवारण स्पष्ट हों।

**निष्कर्ष में:** सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के साथ ग्राहक का नियंत्रण वास्तविक बने। जानकारी साझा करने की अनुमति को भुगतान की अनुमति न मानें; घोषित कार्यान्वयन और वास्तविक सेवा उपलब्धता की अलग जाँच हो।

## स्रोत

- रिजर्व बैंक, 7 अक्टूबर 2026: विकासात्मक और विनियामक नीतियों का वक्तव्य
- रिजर्व बैंक: अकाउंट एग्रीगेटर के निर्देश, 6 सितंबर 2024 तक अद्यतन संस्करण

- The Hindu, 7 अक्टूबर 2026: अंतरसंचालनीयता और बैंक जमा संबंधी घोषणा

**याद रखें:** जानकारी तक आसान पहुँच का अर्थ असीमित उपयोग की अनुमति नहीं; ग्राहक की सहमति और नियंत्रण केंद्र में रहें।